न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, मेरठ।

उपस्थितिः–अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे.ओ. कोडः– यू.पी.6240

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 3133/2026

कमरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी– ग्राम मुरलीपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

… … … … .अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

… … … ..अभियोजन

धारा–147, 323, 504, 506 भा.दं.सं.
व धारा 3(1)X अनुसूचित जाति,
जनजाति निवारण अधिनियम 1989
थाना– कंकरखेड़ा, जिला मेरठ
मु०अ०सं० 861/2015

दिनांकः– 15.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **कमरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन** निवासी– ग्राम मुरलीपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ की ओर से उपरोक्त प्रकरण में उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में आधार जमानत यह व्यक्त किया गया है कि – प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में पूर्व जमानत पर था। प्रार्थी / अभियुक्त मजदूरी के सिलसिले में बाहर चला गया था, जिस कारण पत्रावली पर नियत तिथि 21.08.2025 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नही आ सका था और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त के विरूध गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.06.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूध है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जामिनान देने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी / अभियुक्त को दौरान वाद विचारण प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त द्वारा जमानत आदेश में अधिरोपित शर्तों की अवहेलना की गयी है यदि उनको जमानत पर छोड दिया जाता है तो वह पुनः न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से भाग सकता है। अभियोजन के द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

4. इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया और प्रपत्रों का सम्यक

परिशीलन किया गया।

5. इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के अनुक्रम में इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त कमरूद्दीन की पूर्व में जमानत हो चुकी है, परंतु उनके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र निर्गत होने के कारण अभियुक्त का दिनांक 11.06.2026 को धारा 309 दं०प्र०सं० का कस्टडी वारण्ट बनाकर जिला कारागार मेरठ भेजा गया। उपरोक्त स्थिति में बिना गुण–दोष पर अभिमत व्यक्त किये न्यायालय द्वारा जमानत का आधार पर्याप्त पाया जाता है। अतः अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **कमरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन** निवासी– ग्राम मुरलीपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ की ओर से मु०अ०सं० 861/2015, अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)X अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 3133/2026 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनाकः– 15.06.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.15 17:39:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court